-प्रेस नोट-

जनपद-मीरजापुर

दिनांक-06.09.2021

मीरजापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तो को मा0न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा —

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना कछवां पुलिस तथा मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को मा0न्यायालय द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.08.2017 को जनपद भदोही के थाना औराई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम विक्रमपुर सिकन्द्रा निवासी माता प्रसाद की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कछवां पर मु0अ0सं0-304/2017 धारा 323,304,506 भादवि, 3(1)द,ध एवं 3(2)V एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए वाछिंत अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर थाना कछवां पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं साक्ष्यों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई। जिसके सफल परिणामस्वरूप उक्त अपराध कारित करने वाले तीनों आरोपियों को आज दिनांक 06.09.2021 को स्पेशल जज एससी/एसटी मीरजापुर द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000.00/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

सजायाफ्ता अभियुक्त —

1-अशोक बिन्द पुत्र छट्ठम बिन्द निवासी करहर तारा थाना कछवां मीरजापुर।
2-रणजीत बिन्द पुत्र छट्ठम बिन्द निवासी करहर तारा थाना कछवां मीरजापुर।
3-मनोज शर्मा पुत्र बेनी माधव शर्मा निवासी करहर तारा थाना कछवां मीरजापुर।